(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

प्राग्पत्र 03/2021

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. चन्दरसिंह पि. कनीराम जाति सौंधिया नि.सरखेडी तहसील पिडावा
2. ओकारलाल पि. अनारसिंह जाति सौंधिया नि.सरखेडी तहसील पिडावा

– प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पि. ओंकारसिंह जाति सोंधिया नि.सरखेडी तहसील पिडावा
2. सेवा पि. धीसू जाति सोंधिया नि.सरखेडी तहसील पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक : 06/12/2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसील पिडावा के ग्राम सरखेडी की आराजी ख.नं. 933 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि चन्दरसिंह पि. कनीराम एवं ओकारलाल पि. अनारसिंह नि. सरखेडी द्वारा दिनांक 10.12.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी जिस पर खरीद दिनांक से दोनो का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 101 दर्ज कर दिनांक 08.03.1977 को तस्दीक किया गया जिसका ततसमय की जमाबंदी में नोट अंकन किया गया परन्तु बाद में रोटेशन जमाबंदी बनाते समय बिना किसी कारण उक्त नामा.का अमल दरामद नहीं किया गया जिससे आज भी उक्त आराजी बेचानकर्ता व उसके वारीसान के नाम दर्ज चल रही है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा आराजी में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण में पटवारी हल्का , भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसील पिडावा से जांच रिपोर्ट ली गई जिनके द्वारा बताया कि प्रार्थीगण चन्दरसिंह पि. कनीराम एवं ओकारलाल पि. अनारसिंह नि. सरखेडी द्वारा दिनांक 10.12.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ग्राम सरखेडी की आराजी ख.नं. 933 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि खरीद की थी जिसका नामान्तरण संख्या 101 दर्ज कर दिनांक 08.03.1977 को तस्दीक

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(2)

किया गया परन्तु उक्त नामा का अमल दरामद नहीं किया गया। खरीदशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सरखेडी की आराजी ख.नं. 933 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि चन्दरसिंह पि. कनीराम एवं ओकारलाल पि. अनारसिंह नि. सरखेडी द्वारा ततसमय के खातेदार सेवा पि. धीरू व ओंकार पि. धीसू से दिनांक 10.12.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद की थी जिसका नामान्तरण संख्या 101 दिनांक 08.03.1977 को तस्दीक हुआ एवं जमाबंदी में नोट अंकित किया गया परन्तु रोटेशन जमाबंदी बनाते समय बिना किसी कारण का उल्लेख किये उक्त नामा का अमल दरामद नहीं किया गया जो कि उचित नहीं है। खरीद दिनांक से उक्त आराजी पर खरीददार का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण चन्दरसिंह पि. कनीराम एवं ओकारलाल पि. अनारसिंह नि. सरखेडी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.12.1976 से खरीद की हुई ग्राम सरखेडी की आराजी ख.नं. 933 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि में मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र नामा. दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

6/12/2021

कमांक : राजस्व / 2021 / 937

प्रतिलिपी – निम्न का पालनार्थ एवं सूचनार्थ

1. तहसीलदार तहसील पिडावा
2. प्रार्थीगण चन्दरसिंह पि. कनीराम एवं ओकारलाल पि. अनारसिंह नि. सरखेडी

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner